

तारीख हुक्म

14/8/25

व्यक्तिगत अंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त वे जाने से पत्रावली को सीगट से गुलब भी गई। पत्रावली का एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन मादेशानुसार देने से वकील वादी ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार जाइनल डिक्री किया जाने की राय दी गई है। अतः वादीया का वादप्रच धारा 53 धारा 51 ए का विभाजन से अलग कर अलग-अलग निम्नानुसार स्वहेदारी में दर्ज क्रिये जाने का अद्विष्टा किया जाता है।

- (1) कमला देवी पत्नी मिठू लाल हिरन्दा 79/280 जाहि कुलमी साः देह स्वहेदार राहिन - बैंक भाण्ड बडौदा शारवा - मंगलवाड,
- (ii) बगदीराम पुत्र मिठू लाल हिरन्दा 79/280 जाहि कुलमी साः देह स्वहेदार राहिन बैंक भाण्ड बडौदा शारवा मंगलवाड,
- (iii) शान्ति लाल पुत्र मिठू लाल हिरन्दा 43/280 जाहि कुलमी साः देह स्वहेदार राहिन चित्तौड़गढ सहकारी ग्रम विकास बैंक लिः शारवा - बडौदादडी
- (iv) रसीदा पुत्र मिठू लाल हिरन्दा 79/280 जाहि कुलमी साः देह स्वहेदार राहिन चित्तौड़गढ सहकारी ग्रम विकास बैंक शारवा - बडौदादडी

आराजीनम्बर	रकबा	किरम	लगान
2063/344/3	0.8400	छा.क.	1.26
शौग	1	0.8400	-

(2) श्रीमालाल पुत्र मोहन लाल जाहि जाट साः लौठियाना स्वहेदार

आराजीनम्बर	रकबा	किरम	लगान
2063/344/1	0.4320	छा.क.	0.65
शौग	1	0.4320	-

(3) मोहन लाल पिता श्रीरुलाल जाहि जाट साः लौठियाना स्वहेदार

आराजीनम्बर	रकबा	किरम	लगान
2063/344/2	0.1080	छा.क.	0.16
शौग	1	0.1080	-



प्रमाणानुसार बाजारव नेकार्ड में अमलचरामरु किया जाके का अद्विष्टा किया जाता है। इसी पर अद्विष्टा देकर सोलुगन पत्रावली वे। पत्रावली फस्ताह सुमाट नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
नंगला

